

(Form -4)

Undertaking/वचन

मैं, सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री गांव
तहसील जिला का रहने वाला/वाली हूँ और अपने
हल्फ से निम्नलिखित ब्यान करता/करती हूँ :-

1. यह कि मैं उक्त पते का स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि मैंने आज तक उद्यान विभाग स पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल के लिए कोई भी अनुदान राशि प्राप्त नहीं की है।
3. यह कि हमारी जमीन एकड़ सांझा खाते की है।
4. यह कि मैं कुल जमीन एकड़ का मालिक व काश्त करता हूँ/करती हूँ। मैं गांव तहसील जिला में खेवट नं० खसरा नं० किला नं० पर पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल लगवाना चाहता/चाहती हूँ। उपरोक्त खसरा नं० व किला नं० पर मेरा मालिकाना हक व स्वयं काश्त करता हूँ/करती हूँ।
5. उपरोक्त खसरा नं० व किला नं० में पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल लगाने पर मेरे किसी भी हिस्सेदार को कोई आपत्ति नहीं है। यदि भविष्य में कोई आपत्ति करता है/करती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। इसमें उद्यान विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल का डिजाईन उपरोक्त खसरा नं० व किला नं० के लिए दुरुस्त है। डिजाईन से संबंधित कोई आपत्ति आती है तो इसके लिए मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
7. यह कि उपरोक्त खसरा नं० व किला नं० की मिट्टी व पानी पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल की खेती के लिए उपयुक्त है व इसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है।
8. मैं उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल का निर्माण करूंगा/करूंगी।
9. मैं उद्यान विभाग के मानदण्डों व दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।
10. मैं पोली हाउस/नैट हाउस/वाक इन टनल को 8 वर्ष तक सुचारू रूप से चलाऊंगा।
11. यह कि मेरे जमीन संबंधी कागजात व अन्य कागजात मेरे द्वारा जमा किये गये हैं व दुरुस्त हैं। मैं किसी गलत सूचना के लिए जिम्मेदार हूँ।
12. यदि भविष्य में कोई हिस्सेदार या अन्य इस पर न्यायालय में केस दायर करता है/करती है तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक

प्रार्थी

स्थान